

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 359
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2025

लक्षित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का उत्थान

359. डॉ. भोला सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री दक्ष और मैट्रिक पूर्व/मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की क्या उपलब्धियाँ रही हैं;
- (ख) बुलंदशहर में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;
- (घ) क्या सरकार ने आर्थिक और शैक्षिक उत्थान पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को बेहतर ढंग से लक्षित करने और शामिल करने हेतु भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों के विवरण सहित स्टैंड-अप इंडिया, पीएम-दक्ष और प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की उपलब्धियों का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

इन योजनाओं के अंतर्गत बुलंदशहर में लाभार्थियों की संख्या **संलग्नक-II** में दी गई है।

(घ): संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर, अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को 14.03.2022 को संशोधित किया गया था और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति को 30.03.2021 को संशोधित किया गया था।

इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का मूल्यांकन 2019-20 के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और नीति आयोग द्वारा केपीएमजी के माध्यम से किया गया था। दोनों रिपोर्टों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए इन योजनाओं को जारी रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

(ड): सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को बेहतर ढंग से लक्षित करने और उन्हें शामिल करने के लिए, सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सक्रिय रूप से व्यापक संपर्क बना रही है, तथा ग्राम पंचायतों और स्कूल-स्तरीय प्लेटफार्मों के माध्यम से स्थानीय जागरूकता अभियान चला रही है।

डॉ. भोला सिंह द्वारा दिनांक 22.07.2025 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारकित प्रश्न संख्या 359 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-1

पीएम-दक्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियां, उपयोग की गई निधियों और लाभार्थियों सहित उपलब्धियों का विवरण।

(रु. करोड़ में)

स्कीम के नाम	वर्ष	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधियां	लाभार्थी
अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2014-15 से 2024-25 तक	4,856.65	4,330.67	2,72,87,405
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2014-15 से 2024-25 तक	43,551.98	40,394.59	5,65,44,709
पीएम-दक्ष	2020-21 से 2024-25 तक	506.47	265.70	65493
अनुसूचित जन जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2014-15 से 2016-17 तक	3,928.57*	513.56	36,04,812
अनुसूचित जन जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2014-15 से 2016-17 तक		3,133.83	59,64,724
अनुसूचित जन जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2017-18 से 2024-25 तक	2,519.34	2,518.20	99,95,277
अनुसूचित जन जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2017-18 से 2024-25 तक	16,297.39	16,294.08	1,62,93,853

* इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया था।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत उपलब्धियों का विवरण

स्टैंड-अप इंडिया योजना ने अपनी शुरुआत से लेकर 31.03.2025 तक, देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 2.75 लाख से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए हैं। इस योजना के तहत शुरुआत से यानी अप्रैल 2016 से 31.03.2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रदान किए गए ऋणों की संख्या इस प्रकार है:

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
52,902	16,991

डॉ. भोला सिंह द्वारा दिनांक 22.07.2025 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारकित प्रश्न संख्या 359 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-II

बुलंदशहर में योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या

स्कीम के नाम	वर्ष*	बुलंदशहर में लाभार्थी
अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2022-23 से 2024-25 तक	15334
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2021-22 से 2024-25 तक	47966
पीएम-दक्ष	2020-21 से 2024-25 तक	100
स्टैंड अप इंडिया	2016-17 से 2024-25 तक	534 (119 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित)
अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2019-20 से 2023-24 तक	0
अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2019-20 से 2023-24 तक	36

*बुलंदशहर में लाभार्थियों का विवरण केवल इन वर्षों के लिए उपलब्ध है।
